सं. 8/12/2006-बीपी एंड एल

भारत सरकार

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 नवम्बर, 2007

आदेश

भारत सरकार एतद्द्वारा यह निर्णय करती है कि डायरेक्ट-टू-होम सेवाओं हेतु जारी किए गए दिशानिर्देशों में निम्नलिखित आशोधन किए जाएंगे :

1. "लाइसेंस जारी करने तथा आवेदन हेतु प्रक्रिया" शीर्षक के तहत पैरा (v) में जारी किए गए बिन्दु आठ को हटाया जाएगा तथा उसके स्थान पर नामत: निम्नलिखित को लिखा जाएगा :

"लाइसेंसधारी को कंपनी के उस वित्तीय वर्ष हेतु लेखा परीक्षित लेखाओं में दर्शाए गए इसके सकल राजस्व का 10 प्रतिशत भाग वार्षिक शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा तथा यह "लाइसेंस समझौते की अनुसूची" के अनुच्छेद-3 के तहत (लाइसेंस शुल्क) विस्तार से बताए गए तौर-तरीकों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।"

2. लाइसेंस समझौते की अनुसूची के अनुच्छेद-3 (लाइसेंस शुल्क) में अनुच्छेद 3.1 को हटाया जाएगा तथा उसके स्थान पर नामत: निम्नलिखित को लिखा जाएगा :

"लाइसेंसधारी लाइसेंसर को अपनी मंशा का पत्र जारी करने से पहले 10 करोड़ रू. के अप्रतिदेय प्रविष्टि शुल्क का भुगतान करेगा तथा संचार मंत्रालय की वायरलेस आयोजना एवं समन्वय (डब्ल्यूपीसी) विंग द्वारा वायरलेस संचालन लाइसेंस जारी करने के बाद, नीचे बताए गए तरीके से किसी वित्त वर्ष के सकल राजस्व प्राप्ति का 10 प्रतिशत भाग वार्षिक शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा।"

3. डीटीएच सेवाओं हेतु "लाइसेंस समझौते की अनुसूची" के अनुच्छेद-3 (लाइसेंस शुल्क) में खण्ड 3.1.3 के बाद निम्नलिखित को अनुच्छेद 3.1 क के रूप में जोड़ा जाएगा:-

"3.1क.1 वित्त वर्ष हेतु वार्षिक लाइसेंस शुल्क का प्रथम भुगतान, वित्त वर्ष की समाप्ति के एक माह के अंदर सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रमाणित उस वर्ष के अस्थायी लेखाओं के आधार पर किया जाएगा।

3.1क.2 वित्त वर्ष हेतु वार्षिक लाइसेंस शुल्क का निर्धारण सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा उस वित्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित अंतिम लेखाओं के आधार पर किया जाएगा, जो आने वाले वित्त वर्ष के 30 सितम्बर के बाद नहीं होना चाहिए। यदि यह निर्धारित राशि खण्ड 3.1क.1 के अनुसार पहले से ही जमा करवाई गई राशि से अधिक होती है तो इस शेष राशि की 1 प्रतिशत प्रति माह की सामान्य ब्याज दर से गणना, आने वाले वित्त वर्ष की 1 मई से ऐसे भुगतान की तारीख तक जब लेखा परीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर एकमुश्त भुगतान किया जाता है या आने वाले वित्त वर्ष के 15 अक्तूबर तक, जो भी पहले हो, की जाएगी।

3.1क.3 जहां खण्ड 3.1क 1 के अनुसार जमा करवाया गया कुल वार्षिक शुल्क वित्त वर्ष के लेखा परीक्षित लेखाओं के आधार पर निर्धारित किए गए शुल्क की राशि से अधिक होता हो, वहां इस शेष राशि को लाइसेंसधारी के अनुरोध पर आने वाले वित्त वर्ष हेतु नियत वार्षिक लाइसेंस शुल्क की राशि में समायोजित किया जा सकता है।

3.1क.4 लाइसेंसधारी द्वारा खण्ड 3.1.3 के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई राशि जमा करवाई जाती है तो यह ऐसे निर्धारण के 15 दिनों के अंदर जिस वित्त वर्ष के लिए यह निर्धारण किया गया है, के बाद आने वाले वित्त वर्ष की 1 मई से लेकर भुगतान की तारीख तक की अवधि पर 1 प्रतिशत साधारण ब्याज दर के साथ जमा करवाई जानी चाहिए।

उपरोक्त प्रावधान तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे तथा मौजूदा लाइसेंसधारियों के संबंध में भी ये लागू होंगे।

(जोहरा चटर्जी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नं. : 23382597